विविध बैंक प्रकरण सं0 66/2018 (RCMS 2016/00186) ऑरियंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, शाखा रायसिंहनगर बनाम 1. नन्दलाल कापड़िया पुत्र श्री दुला सिंह निवासी कमान नं 488/8 वार्ड नं 12 नजदीक विद्या विकास मॉडल स्कूल, सांसी बस्ती, रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर 2. श्रीमती शांति देवी पत्नि श्री नन्दलाल कापड़िया निवासी कमान नं 488/9 वार्ड नं 12 नजदीक विद्या विकास मॉडल स्कूल, सांसी बस्ती, रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

23.07.2018

आज यह पत्रावली प्रार्थी बैंक के अधिवक्ता मनीष कुमार भारद्वाज द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के आधार पर पेशी में ली गई, जिसमें प्रार्थना की गई है कि इस प्रकरण के निर्णय के अन्तिम पृष्ठ में टंकण त्रुटि से ऑरियंटल बैंक ऑफ कॉमर्स के स्थान पर भारतीय स्टेट बैंक अंकित हो गया है, जिसे दुरूस्त किया जावे। उक्त प्रार्थना पत्र शामिल पत्रावली किया गया।

मैने पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया यह प्रकरण ऑरियंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, शाखा रायसिंहनगर द्वारा नन्दलाल कापड़िया व शान्ति देवी के विरूद्ध वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 के अन्तर्गत पेश करके ऋण की सुरक्षा की एवज में रखी गई सम्पत्ति का कब्जा पुलिस की सहायता से प्रार्थी बैंक को दिलाये जाने की प्रार्थना की गई थी।

उक्त प्रकरण के निर्णय दिनांक 18.06.2018 के अंतिम पैरा में टंकण त्रुटिवश **ऑरियंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, रायसिंहनगर के स्थान पर भारतीय स्टेट बैंक** अंकित हो गया है। यह एक लिपिकीय त्रुटि है, जिसे धारा 152 सीपीसी के तहत कभी भी सुधारा जा सकता है।

अतः यह आदेश दिया जाता है कि उक्त प्रकरण संख्या 66/2018 – ऑरियंटल बैंक ऑफ कार्मस, शाखा रायसिंहनगर बनाम नन्दलाल कापड़िया वगैरा में पारित निर्णय दिनांक 18.06.2018 के **अंतिम पैरा में अंकित शब्द, "भारतीय स्टेट बैंक" के स्थान पर "ऑरियंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, शाखा रायसिंहनगर" अंकित किया जाता है।** इसलिए "**भारतीय स्टेट बैंक**" के स्थान पर "**ऑरियंटल बैंक ऑफ कॉमर्स**" पढा जावे। इस आदेश की प्रति ऑरियंटल बैंक ऑफ कॉमर्स को भेजी जावे।

उक्त आदेश को दिनांक 18.06.2018 के निर्णय साथ संलग्न रखा जावे।

(ज्ञानाराम)
जिला कलक्टर
श्री गंगानगर